न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1187 / 2026
पालीगंज थाना कांड संख्या– 210 / 2026

1. तुलसी सिंह पिता स्व0 लखण सिंह,
2. पिंकी देवी पति अरूण सिंह,
3. नीतू देवी पिता तुलसी सिंह।
साकिनान–रामपुर नगवॉ, थाना–पालीगंज, जिला–पटना।
——— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से– श्री मिथिलेश कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

11.06.2026 पालीगंज थाना कांड संख्या–210 / 2026 धारा–126(2),115(2),109(1),74,79,118(1),303(2),352,351(3),3(5)बी.एन.एस.से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचिका का कथन है कि दिनांक–21.04.2026 को समय करीब 02.30 बजे अपराह्न में अरूण सिंह, तुलसी सिंह, अंकित कुमार, नीतु देवी एवं पिंकी देवी ने मेरे घर पर आये और गाली–गलौज करने लगे, जब मैं गाली देने से मना किया तो उक्त सभी व्यक्ति ने जान मारने की नियत से मेरे सिर पर लोहा के गड़ासा से प्रहार किये, जिससे मेरा माथा फट गया और खुन बहने लगा, मैं जमीन पर गिर गयी और बेहोश हो गयी, जब होश आया तो अपने आपको सरकारी अस्पताल, पालीगंज नगवॉ में देखी, जहॉ चिकित्सक द्वारा ईलाज किया गया और मेरे सिर में सात टांका लगाया गया। मेरे परिजन और मेरी बेटी के कान का सोना का झूमका और मोबाईल ले लिये। मेरे हाथ में चाकू से भी वार किये, जिससे मेरा दाहिना तलहथी के उपर कट गया। मैं अपनी जमीन से मजदूर द्वारा मिट्टी कटवा रही थी, इसी बात को लेकर मारपीट की घटना हुयी है। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सभी नामित व्यक्तियों द्वारा

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1187 / 2026
पालीगंज थाना कांड संख्या— 210 / 2026

लगातार
11.06.2026

अपराध कारित करने की बात कहा गया है। अपराध विशिष्ट नहीं है वल्कि अस्पष्ट व सामूहिक रूप से किया गया प्रतीत होता है। जख्म प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण कारित जख्म की विवेचना करना संभव प्रतीत नहीं होता है तथा जख्म की प्रकृति का विश्लेषण भी संभव नहीं है। चूँकि आरोप सूचक द्वारा सभी अभियुक्तगण पर लगाया गया है। विशिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति पर अपराध का विशिष्टिकारण संभव नहीं है। कांड दैनिकी के पैरा—7. के अवलोकन से भी विदित होता है कि इस आवेदकगण पर केवल मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा—438(2) द. प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,

Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।